न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 94/2024

1. दयाराम पुत्र अमीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी घोटड़ाखालसा त0 भादरा। :- प्रार्थी

बनाम

1. भगवानीदेवी पुत्री गिरदावरी पत्नी खेताराम जाति ब्राहम्ण निवासी घोटड़ाखालसा त0 भादरा हाल नजदीक ज्ञानसिंह की कोठी के पास भादरा।
2. सब रजिस्ट्रार उपतहसील डुंगराना त0 भादरा। :- अप्रार्थी

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत

उपस्थिति : वकील श्री कपूरचन्द शर्मा - प्रार्थी

वकील श्री योगेश शर्मा - अप्रार्थी

निर्णय दिनांक : 16.12.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा घोटड़ाखालसा की जमाबंदी सं 2074–2077 के खाता संख्या 14/39 के खसरा संख्या 10 की 3.136 है0, खसरा संख्या 105 की 5.0190 है0, खसरा संख्या 106 की 1.935 है0, खसरा संख्या 107 की 4.199 है0, खसरा संख्या 142 की 3.503 है0, खसरा संख्या 161 की 1.872 है0, खसरा संख्या 65 की 0.430 है0, खसरा संख्या 66 की 1.012 है0 कुल खसरा 8 की कुल 21.196 है0 बारानी कृषि भूमि में प्रार्थी दयाराम का 1/12 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 भगवानी का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त वर्णित वादभूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 खातेदार काश्तकार है उक्त भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी के अलावा भी कृष्ण कुमार, चानण, पवन कुमार, राधेश्याम पिसरान भीयाराम प्रत्येक का 1/20 हिस्सा, भींयाराम का 1/20 हिस्सा, लालचन्द का 1/4 हिस्सा, सुभाषचन्द्र, नत्थुराम पुत्र अमिलाल प्रत्येक का 1/12 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादभूमि के पक्षकारान का खाता संयुक्त है तथा उक्त खाते में खसरा संख्या 161 की जमीन गांव के चिपते हुये ही है और अधिक उपजाउ है इस प्रकार खाता की कुल भूमि अच्छी व मंदी दोनो श्रेणी की है। जिसका प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य अच्छी–मंदी के हिसाब से बाई मिटस एण्ड बाउन्डस से बंटवारा नही हुआ है इसलिये प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि का अच्दी–मंदी के हिसाब से खाता व लगान अलग कायम करवाने का कानूनी अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 01 खुद भूमि काश्त नही करती है तथा ना ही गांव में रहती है एवं कस्बा भादरा में आबाद है जो वाद भूमि को किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय कर बिना खाता विभाजन के अच्छी किस्म की भूमि पर काबिज करवाना चाहती है जिसके लिए उसने ग्राहक भी ढुंढ रखे है यदि अप्रार्थी संख्या ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो अप्रार्थी को अपुर्णीय क्षति होगी, इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने का कानूनी अधिकारी है कि वह बिना खाता विभाजन के वाद भूमि को रहन, बैय व विक्रय नही करें एवं किसी अजनबी व्यक्ति को संयुक्त खाता की अच्छे किस्म की भूमि पर काबिज नही बनायें। इसलिए प्रार्थी अपने हिस्सा की भूमि का अच्छी व मंदी के हिस्सा से खाता विभाजन करवा पाने व अप्रार्थी सं0 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पांबद करवा पाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी अप्रार्थी के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वह खाता विभाजन होने से पूर्व वाद भूमि के रहन, बैय व मुन्तकिल ना करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थीया सं0 1 ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादभूमि संयुक्त खाते की कृषि भूमि है व खसरा संख्या 161 की जमीन गांव के चिपते हुऐ उपजाउ होना व पक्षकारों के मध्य विधिवत बंटवारा नही होना से भी इन्कार नही है। अगर प्रार्थी अच्छी मंदी के हिसाब से खाता विभाजन करवाना चाहे तो अप्रार्थीया संख्या 1 सहमत है। अप्रार्थीया संख्या 1 ने अपनी कृषि भूमि सहकाश्तकार कृष्ण पुत्र भीयांराम से हिस्सा बंटाई पर काश्त करवाती है। अप्रार्थीया द्वारा अपनी कृषि भूमि को किसी भी अजनबी व्यक्ति को विक्रय नही कर रही है, ना ही कोई ग्राहक ढूढ़ रखे है। उक्त संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि कुल 21.196 है0, बारानी में 1/4 हिस्सा सह काश्तकार कृष्ण पुत्र श्री भींयाराम जाति ब्राहम्ण निवासी घोटड़ाखालसा को विक्रय करने का ईकरारनामा किया है। अप्रार्थीया को घरेलु आवश्यकता होने के कारण अपनी खातेदारी कृषि भूमि को विक्रय करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने के कारण जरिये इकरारनामा सौदा किया है, जिससे प्रार्थी दयाराम को कोई नुकसान नही हो रहा है। न ही कब्जा का आदान–प्रदान होना है। मिन अप्रार्थीया ने जो कृषि भूमि काश्त करने के लिए कृष्ण को रखी है उसी को विक्रय कर रही है, कोई स्पेशल खसरा का विक्रय नही कर रही है ना ही कृष्ण पुत्र भियाराम कोई अजनबी व्यक्ति है। अगर अप्रार्थीया के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीया अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित हो जायेगी जिसकी भरपाई किसी भी सुरत में नही हो सकेगी। अप्रार्थीया आज भी सहमती से खाता विभाजन करवाने लिए तत्पर एवं तैयार है। लेकिन प्रार्थी अर्जीदावा की आड़ में अप्रार्थीया के साथ नाराजगी की वजह से उसके हक हिस्से की कृषि भूमि के उपयोग उपभोग सही तरीके से नहीं कर सकेगी। अतः जबाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि अप्रार्थीया के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न की जावे।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि वादभूमि के पक्षकारान का खाता संयुक्त है तथा उक्त खाते में खसरा संख्या 161 की जमीन गांव के चिपते हुये ही है और अधिक उपजाउ है इस प्रकार खाता की कुल भूमि अच्छी व मंदी दोनो श्रेणी की है। जिसका प्रार्थी व अप्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.12.26 11:34:37 IST
Reason: SelfAttested

Nidhi
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

अच्छी–मंदी के हिसाब से बाई मिटस एण्ड बाउन्डस से बंटवारा नही हुआ है इसलिये प्रार्थी अपने हिस्से भूमि का अच्छी–मंदी के हिसाब से खाता व लगान अलग कायम करवाने का कानूनी अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 01 खुद भूमि काश्त नही करती है तथा ना ही गांव में रहती है एवं करबा भादरा में आबाद है जो वाद भूमि को किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय कर बिना खाता विभाजन के अच्छी किस्म की भूमि पर काबिज करवाना चाहती है जिसके लिए उसने ग्राहक भी ढुंढ रखे है यदि अप्रार्थी संख्या ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो अप्रार्थी को अपुर्णीय क्षति होगी, इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने का कानूनी अधिकारी है कि वह बिना खाता विभाजन के वाद भूमि को रहन, बैय व विक्रय नही करें एवं किसी अजनबी व्यक्ति को संयुक्त खाता की अच्छे किस्म की भूमि पर काबिज नही बनायें। इसलिए प्रार्थी अपने हिस्सा की भूमि का अच्छी व मंदी के हिस्सा से खाता विभाजन करवा पाने व अप्रार्थी सं0 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवा पाने का अधिकारी है।

वकील अप्रार्थीया ने बहस कर निवेदन किया कि कथन किया कि वादभूमि संयुक्त खाते की कृषि भूमि है व खसरा संख्या 161 की जमीन गांव के चिपते हुऐ उपजाउ होना व पक्षकारों के मध्य विधिवत बंटवारा नही होना से भी इन्कार नही है। अगर प्रार्थी अच्छी मंदी के हिसाब से खाता विभाजन करवाना चाहे तो अप्रार्थीया संख्या 1 सहमत है। अप्रार्थीया संख्या 1 ने अपनी कृषि भूमि सहकाश्तकार कृष्ण पुत्र भीयांराम से हिस्सा बंटाई पर काश्त करवाती है। अप्रार्थीया द्वारा अपनी कृषि भूमि को किसी भी अजनबी व्यक्ति को विक्रय नही कर रही है, ना ही कोई ग्राहक ढूढ़ रखे है। उक्त संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि कुल 21.196 है0, बारानी में 1/4 हिस्सा सह काश्तकार कृष्ण पुत्र श्री भींयाराम जाति ब्राहम्ण निवासी घोटड़ाखालसा को विक्रय करने का ईकरारनामा किया है। अप्रार्थीया को घरेलु आवश्यकता होने के कारण अपनी खातेदारी कृषि भूमि को विक्रय करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने के कारण जरिये ईकरारनामा सौदा किया है, जिससे प्रार्थी दयाराम को कोई नुकसान नही हो रहा है। ना ही कोई कब्जा का आदान–प्रदान होना है। मिन अप्रार्थीया ने जो कृषि भूमि काश्त करने के लिए कृष्ण को दे रखी है उसी को विक्रय कर रही है, कोई स्पेशल खसरा का विक्रय नही कर रही है ना ही कृष्ण पुत्र भियाराम कोई अजनबी व्यक्ति है। अगर अप्रार्थीया के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीया अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित हो जायेगी जिसकी भरपाई किसी भी सुरत में नही हो सकेगी। अप्रार्थीया आज भी सहमती से खाता विभाजन करवाने लिए तत्पर एवं तैयार है। लेकिन प्रार्थी अर्जीदावा की आड़ में अप्रार्थीया के साथ नाराजगी की वजह से उसके हक हिस्से की कृषि भूमि के उपयोग उपभोग सही तरीके से नहीं कर सकेगी। अतः जबाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि अप्रार्थीया के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न की जावे। इस संबंध में वकील अप्रार्थीया ने 2019(2) RRT आरआरटी777,Tamu(Smt)&OrsVs.Kalyan(D) Thro'LR's&Ors20221DNJ, RRT2020 (2) 1122, RRT 2020(2)1122, दलीप बनाम अजय आदि, RRT2022–23(supp.)176, दातार सिंह बनाम करणी सिंह, RRT 2011–12(supp.)192 पुरखाराम आदि बनाम पोकरराम आदि, RRT2016(1) 113, चावली बनाम बालकी देवी आदि, RRT2018(1) 405 घांसीलाल बनाम रामभरोसे आदि, RRD1977 470, RRD1977 30, 2020(2)RRT1122 Dalip Vs. Ajay , 2020(2)RRT1122 Dalip Vs. Ajay न्यायिक दृष्टान्त पेश कियें।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में सायल ने गैरसायल को जरिऐ अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द करवाने हेतु वाद पेश किया है एवं प्रकरण के निस्तारण हेतु हमें अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन बिन्दूओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति पर विचार करना है :–

1 **प्रथम दृष्टया मामलाः**–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है चूंकि उपर्युक्त विवेचन शपथ पत्रों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थी वाद भूमि का सह खातेदार है प्रार्थी के साथ साथ अप्रार्थी का भी उतना ही हिस्सा वादभूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इस प्रकार उक्त वादभूमि में अप्रार्थीया भगवानीदेवी अपने हिस्से पर रिकॉर्डेड खातेदार है अप्रार्थी को अपने हिस्सानुसार अपनी कृषि भूमि का उपयोग व उपभोग करने में प्रार्थी को कोई दुविधा प्रकट नहीं होती है। चुंकि अप्रार्थी के साथ अन्य सहखातेदार काश्तकार भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिन्हे प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में पक्षकार नहीं बनाया गया। जिससे प्रतीत होता है प्रार्थी ने तथ्यों को छुपाकर महज अप्रार्थीया को अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग करने से वंचित करने के आशय से आवेदन पत्र अस्थाई निषाधाज्ञा पेश किया है। अतः प्रथम दृष्टया उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी के खिलाफ व अप्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है।

2 **सुविधा का संतुलनः**– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण [illegible] किया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया अप्रा[illegible] में साबित हो चुका है। कानूनन सह खातेदार काश्तकार के खिलाफ बिना किसी [illegible] की कोई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। प्रार्थी ने अपने दावा व दरख्वास्त में किसी [illegible] घोषणात्मक अनुतोष नही चाहा गया है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीया को महज तंग परेशान करने के लिए मिथ्या व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पेश किया है जिससे प्रार्थीया को असुविधा होगी। अतः [illegible]ग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्रों, दस्तावेजों के आधार पर तथा प्रथम दृष्टया मामला भी अप्रार्थीया के पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीया के पक्ष में और प्रार्थी के खिलाफ साबित होता है।

3 **अपूर्णीय क्षतिः**– उक्त प्रार्थना पत्र के आलौक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों अप्रार्थी के पक्ष में साबित हुए है। चुंकि प्रार्थी का उक्त वादभूमि में लगान व खाता अलग से कायम नहीं है यदि उक्त प्रकरण में अप्रार्थीया जो कि वादभूमि का खातेदार काश्तकार है यदि अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति हो सकती है। किन्तु वादभूमि संयुक्त खाते की भूमि है, यदि कोई खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.12.26 11:54:37 IST
Reason: SelfAttested

पीठा. कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

काश्तकार अच्छी भूमि का बेचान करता है तो अन्य सहखातेदारों को क्षति होने की संभावना है। विधि का सुस्थापित मान्य सिद्धान्त है कि सह खातेदार का अविभाजित भूमि के प्रत्येक भू भाग पर अधिकार होता है, क्योंकि संयुक्त भूमि पर सभी सह खातेदारों का बराबर का हक व हिस्सा निहित होता है। ऐसी स्थिति में सह खातेदार को अपने हक हिस्से की भूमि का उपयोग व उपभोग नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जा सकता है अप्रार्थी रिकार्डेड टिनेन्ट खातेदार काश्तकार है व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति अप्रार्थी के पक्ष में है। इसलिये रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध वादभूमि के उपयोग व उपभोग के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रथम दृष्टया साबित नही पाया जाता है तथा दूसरे बिन्दु सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हो पाया है। जहां तक अस्थाई निषेधाज्ञा के तीसरे बिन्दु अपूर्णीय क्षति का बिन्दु पूर्ण रूप से प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों के पक्ष में साबित नहीं हो पाया है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र मूल वाद का निस्तारण होने तक आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उपयुर्क्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र सायल अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक साबित होने से स्वीकार किया जाता है और अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायल विरूद्व अप्रार्थीया संख्या 1 के विरूद्व इस आशय की पारित किया जाती है कि रोही मौजा घोटड़ाखालसा की जमाबंदी सं 2074–2077 के खाता संख्या 14/39 के खसरा संख्या 10 की 3.136 है0, खसरा संख्या 105 की 5.0190 है0, खसरा संख्या 106 की 1.935 है0, खसरा संख्या 107 की 4.199 है0, खसरा संख्या 142 की 3.503 है0, खसरा संख्या 161 की 1.872 है0, खसरा संख्या 65 की 0.430 है0, खसरा संख्या 66 की 1.012 है0 कुल खसरा 8 की कुल 21.196 है0 बारानी कृषि भूमि में प्रार्थी अप्रार्थीया को वादभूमि के उपयोग, उपभोग में कोई बाधा ताफैसला उत्पन्न ना करें व अप्रार्थीया संख्या 1 के विरूद्ध दिनांक 06.11.2024 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश इस हद तक ताफैसला वाद अपास्त किया जाता है कि वे विवादित भूमि में बैंक रहन को छोड़कर रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाए रखें।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Nidhi

(निधि उड़सरिया)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा-हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.12.26 11:54:37 IST
Reason: SelfAttested